320

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT), BIHAR
(LOCAL AUDIT WING), PATNA –800 001

No. L.A.Sur/ 1869 Dated: 25-6-09

To,

The Principal Secretary to the Government of Bihar,
Urban Development and Housing Department,
Patna.

Sir,

Audit Report No.-**122/2009-10** on the accounts of **Muzaffarpur Municipal Corporation** for the Period **2007-08** is enclosed for your kind information and necessary action.

Yours faithfully

Sr.Audit Officer/Incharge
Local Audit Wing, Bihar, Patna

Encl: -As above

Forwading - Report sent to local offices

अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0–122/09–10
मुजफ्फरपुर नगर निगम

1.परिचय :–

नगर निगम मुजफ्फरपुर के वर्ष 2007–08 के लेखाओं का नमूना जाँच कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा, पटना द्वारा 28.01.2009 से 11.04.2009 के दौरान किया गया।

2. प्रशासन :–

1.	महापौर का नाम	अवधि
(i)	वर्तमान– श्रीमति विमला देवी तुलस्यान	09.06.07 से 31.03.08 तक
(ii)	पूर्व – श्री समीर कुमार	07.09.02 से 08.06.07 तक
2.	उप महापौर का नाम	अवधि
(i)	वर्तमान – मो0 निसारूद्दीन	09.06.07 से 31.03.08 तक
(ii)	पूर्व – श्री विवेक कुमार	07.09.02 से 08.06.07 तक
3.	नगर आयुक्त का नाम	अवधि
(i)	श्री हरिहर प्रसाद सिंह	01.04.07 से 25.01.08 तक
(ii)	श्री अभिमन्यु प्रसाद सिंह	26.01.08 से 29.01.08 तक
(iii)	श्री हरिशंकर सिंह	30.01.08 से 14.03.08 तक
(iv)	श्री रामावतार राम	15.03.08 से 31.03.08 तक

3. लेखा परीक्षा का क्षेत्र :–

अंकेक्षण में जाँच किये गये अभिलेखों की सूची **परिशिष्ट – I** में तथा अंकेक्षण में उपस्थापित नहीं किये गये अथवा असंधारित अभिलेखों की सूची **परिशिष्ट – II** में दी गई है।

4. पूर्व का अंकेक्षण प्रतिवेदन :–

अंतिम तथा पूर्व के अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन अंकेक्षण अवधि के दौरान किया गया जो निम्न है :–

कम सं0	अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या तथा वर्ष	वर्ष	कुल कंडिका की संख्या	पूर्व में निरस्त की गयी कंडिका की संख्या	अवशेष कंडिका की संख्या	अंकेक्षण दल द्वारा निरस्त करने के लिए अनुशंसित कंडिका की संख्या
1	90/1999–2000	1994–95 से 1995–96	54	शून्य	54	16
2	137/2000–01	1996–97	67	20 उप कंडिका–3	47	
3	92/2001–02	1997–98 से 1998–99	68	28 उप कंडिका–2	40	
4	137/2003–04	1999–2000	63	37 उप कंडिका–2	26	
5	197/2006–07	2001–02 से	46	12	34	8

(38)

		2004-05				
6	420/2007-08	2005-06 से 2006-07	46	शून्य	46	24 उप कंडिका-06

शेष बचे प्रतिवेदन के कंडिकाओं का अनुपालन यथा-शीघ्र कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

5. स्वीकृत कार्यबल तथा कार्यरत बल :-

नगर विकास विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 3580 दिनांक 03.07.1982 के अनुसार 920 स्वीकृत पद था तथा होमियोपैथिक चिकित्सक का एक पद न0वि0वि0, बिहार सरकार के पत्रांक 3141 दिनांक 25.07.1983 को स्वीकृत किया गया था। इस पत्रांक की प्रति अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं कराया गया था।

न0वि0वि0 के पत्रांक 3580 में स्वीकृत पद का विस्तृत विवरण नहीं था। लेकिन अंकेक्षण में उपलब्ध संचिका तथा दिनांक 31.03.08 के स्कुटेंस रॉल के अनुसार कुल स्वीकृति पद 921 के विरुद्ध 720 बल कार्यरत था।

(विस्तृत विवरणी **परिशिष्ट - III** पर दिया गया है)

विस्तृत विवरणी के अनुसार कुल 38 कर्मचारी स्वीकृत बल से अधिक निम्नलिखित संवर्ग में कार्यरत थे :-

क0 सं0	पदनाम	स्वीकृत बल	31.03.08 का कार्यरत बल	अधिक
(i)	उच्च वर्गीय सहायक + सहायक	72	100	28
(ii)	अनुसेवी	66	74	8
(iii)	नगरपालिका अभियता	1	2	1
(iv)	पाईप लाईन खलासी	8	9	1
			कुल	38

मार्च 08 के वेतन विवरणी से यह पता चला कि दो कर्मचारी अस्वीकृत पद पर कार्यरत थे :-

	स्वीकृत पद	कार्यरत बल
(i) टंकक	शून्य	02

अंकेक्षण आपत्ति :-

(i) न0वि0वि0 के पत्रांक 3580 दिनांक 03.07.1982 के अनुसार 920 स्वीकृत बल था। लेकिन वर्गीकृत स्वीकृत बल की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई थी। अतः परिशिष्ट में तैयार किया वर्गीकृत स्वीकृत बल विभिन्न संचिकाओं के आधार पर तैयार किया गया था।

(37)

अतः वर्गीकृत स्वीकृत बल (सरकार से प्राप्त) की प्रति अगले अंकेक्षण को उपलब्ध करावें।

(ii) निगम का कार्यरत बल कुल स्वीकृत बल से कम था। लेकिन 38 कर्मचारी उपरलिखित संवर्ग में अधिक कार्यरत था तथा 2 कर्मचारी अस्वीकृत पद पर कार्यरत थे। अतः कुल 40 कर्मचारियों, जो अधिक कार्यरत थे का वेतन इत्यादि का भुगतान निगम निधि पर अतरिक्त बोझ था, जो अंततः राज्य सरकार पर वेतन अनुदान के रूप में पड़ता है।

स्वीकृत पद से अधिक कर्मचारी रखने का कारण स्पष्ट होने तक उपरोक्त 40 कर्मचारियों पर किये गए व्यय को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

(iii) स्थापना शाखा द्वारा उपलब्ध कराये गये संचिका तथा दी गई सूची के अनुसार कुल 222 कर्मचारी स्थायी रूप से दैनिक वेतन पर कार्यरत थे। जिनमें से श्री सदानंद महाराज एवम् अन्य 82 कर्मचारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना में रिट संख्या-CWJC No.-1935 of 1996 दायर किया था। दिनांक 27.09.97 द्वारा कुल 83 कर्मचारियों के लिए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्देश दिया गया था कि यदि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 31.01.1998 तक किसी प्रकार की सूचना संबंधित निगम को नहीं देती है तो संबंधित निगम स्टाफिंग पैर्टन (staffing pattern) के आधार पर उक्त तिथि के समाप्ति के पश्चात् संबंधित कर्मचारियों का सेवा को नियमित कर सकती है।

लेकिन अभी तक माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया गया था तथा न तो निगम द्वारा अथवा निगम पर्षद द्वारा न ही सरकार द्वारा स्टाफी पैर्टन बनाया गया था तथा 83 कर्मचारियों की सेवा को नियमित नहीं किया था। जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना है।

इस संबंध में निगम द्वारा कोई जबाब अंकेक्षण दल को उपलब्ध नहीं कराया गया था। अतः निगम प्रशासन से आग्रह है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में उपयुक्त कारवाई की जाय तथा की गई कारवाई से स्थानीय लेखा परीक्षक कार्यालय को अवगत कराया जाय।

6. <u>अधिदृश्य (संव्यवहार)</u> :-

मुजफ्फरपुर नगर निगम राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान एवं ऋण तथा स्वयं के स्त्रोतों, जैसे करों एवं शुल्कों से वित्त पोषित था। पटना नगर निगम अधिनियम 1951 की धारा 116 के अनुसार, (जो कि मुजफ्फरपुर नगर निगम पर भी लागू है) मासिक, त्रैमासिक, एवं वार्षिक लेखा तैयार किया जाना था। वर्ष का प्रारम्भिक शेष,

(3/6)

प्राप्तियाँ, व्यय को नहीं लिखा गया था, साथ ही वर्ष के अंत में अंतिम शेष नहीं निकाला गया था। यद्यपि, रोकड़बही में दर्ज संव्यवहार के अनुसार वर्ष 2007-08 कर वित्तीय विवरण निम्नलिखित था :-

क0सं0	विवरण	राशि (रू0)
1	प्रारम्भिक शेष	51219667.36
2.	प्राप्तियाँ :-	
(i)	सरकारी अनुदान	188626606.00
(ii)	विधायक मद	3112480.00
(iii)	अति0 मुद्रांक शुल्क	10383198.10
(iv)	सरकारी ऋण	शून्य
(v)	स्वंय के स्त्रोतों से आय	50633994.00
	कुल प्राप्तियाँ	303975945.46
3.	व्यय :-	
(i)	योजना पर व्यय	156294461.00
(ii)	स्थापना पर व्यय	114409624.00
	कुल	270704085.00
	अंत शेष (2-3)	33271860.46

टिप्पणी :- दिनांक 01.04.07 को प्रारम्भिक शेष नि0प0 संख्या 420/07-08 से लिया गया था।

उपरोक्त विवरणी से स्पष्ट है कि स्थापना व्यय एवं अन्य दैनिक व्यय हेतु निगम की स्वंय के स्त्रोतों से आय पर्याप्त नहीं थी। स्वयं के स्त्रोतों से आय में उत्तरोत्तर ह्रास हुआ था, जबकि स्थापना व्यय में निरन्तर वृद्धि हुई थी। स्वयं के स्त्रोतों से आय में वृद्धि करने हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने की आवश्यकता है। वर्तमान समय में निगम सरकारी अनुदान, सरकारी ऋण, सहायक स्टाम्प ड्यूटी पर निर्भर थी।

7.<u>विभिन्न खातों में संधारण</u> :-

पटना नगर निगम अधिनियम की धारा 87 के अनुसार नगर निगम को प्राप्त सभी राशियों को ट्रेजरी में रखा जाना चाहिये था। लेकिन उक्त नियम के विरूद्ध नगर निगम मुजफ्फरपुर द्वारा 30 बैंक खातों को सामान्य एवं योजनाओं के संव्यवहार हेतु व्यवहार में लाया गया था। किसी एक योजना अथवा कार्य हेतु एक से अधिक बैंक खातों का उपयोग किया गया था। एक खाते से दूसरे खाते में निरंतर रूप से राशियों को स्थानान्तरित करने से लेखे भ्रामक एवं संदेहास्पद हो गये।

लेखाओं की जटिलता एवं राशियों के निरन्तर स्थानान्तरण से वित्तीय अनियमितताओं की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता अतः निगम द्वारा बैंक

खातों को सीमित करने एवं राशियों के निरन्तर स्थानान्तर को रोकने हेतु आवश्यक प्रभावी कदम उठाया जाये।

8. प्रमुख अंकेक्षण उपलब्धियाँ :–

क0 सं0	कंडिका सं0	विवरण	राशि (रू0)
1	5	स्वीकृत कार्यबल तथा अधिक कार्यरत कार्यबल	
2	29	द्वादश वित्त आयोग के अनुदान में अनियमितता	11.29 लाख
3	30	नागरीक सुविधा के अनुदान में अनियमितता	2.40 लाख
4	32	वेतन मद में प्राप्त अनुदान की अधिक स्वीकृति तथा निकासी	52.77 लाख
5	40	मॉस्टर प्लान अनुदान	
6	41	चेक द्वारा प्राप्त राशि का जमा नहीं दिखाया गया	9.17 लाख
7	18	कर का अनियमित मूल्यांकन	3.59 लाख
8	22	माँग सूचना निर्गत नहीं किया गया	
9	23	जलदर लागू नहीं	
10	(44) 43	सेवानिवृति की तिथि के बाद भी अनियमित रुप से सेवा में कार्यरत	31.07 लाख
11	(46) 45	राजस्व पदाधिकारी में अनियमित पदोन्नती	
12	(61) 60	पेंशन का अनियमित भुगतान	60.92 लाख

9. बजट :–

पटना नगर निगम अधिनियम 1951 (जो मुजफ्फरपुर नगर निगम पर भी लागू है) की धारा 94 के अनुसार बजट प्राक्कलन बनाने तथा पूर्ण रुप–रेखा तैयार करने हेतु निम्नलिखित समयावधि निधारित था। :–

(i)	बजट प्राक्कलन बनाने एवं सशक्त स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुतकरना	अधिकतम 10 जनवरी
(ii)	सशक्त स्थायी समिति द्वारा विचार तथा निगम के समक्ष प्रस्तुतिकरण	अधिकतम 15 फरवरी
(iii)	कार्यालय के सूचना पर प्रकाशन तथा उसका करदाता द्वारा निरीक्षण	अधिकतम 16 फरवरी से 31 मार्च तक
(iv)	बजट अनुमोदन तथा उसकी प्रति राज्य सरकार को योजना	अधिकतम 31 मार्च तक

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत बजट संचिका के अनुसार दिनांक 20.07.07 को सशक्त स्थायी समिति या वोर्ड को प्रस्तुत किया गया जिसे 19.02.08 को अनुमोदित किया गया तथा राज्य सरकार को 21.02.08 को राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भेजा गया। इससे स्पष्ट है कि निगम द्वारा समयावधि का पालन नहीं किया गया था जिसका कारण अंकेक्षण में स्पष्ट नहीं किया गया।

यह भी ज्ञात हुआ कि बजट प्राक्कलन तथा वास्तविक आय –व्यय के बीच में काफी का अंतर था, जिसका उल्लेख निम्नलिखित है :–

(3/4)

आय			व्यय		
बजट प्राक्कलन	वास्तविक (रू0 लाख में)	अंतर	बजट प्राक्कलन	वास्तविक (रू0 लाख में)	अंतर
5068.03	2527.56	2540.47	5505.50	2707.04	2798.46

उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि बजट तैयार करते समय वास्तविक आय व्यय का ध्यान नहीं दिया गया था तथा बजट काल्पनिक बनाया गया था, जो निगम के किसी भी उद्देश्य की पूर्ति में असमर्थ था।

10. <u>सरकारी अनुदान</u> :-

सरकारी अनुदान पंजी का संधारण नहीं किया गया था। अनुदान पंजी नहीं रहने के कारण पूर्व के अवशेष अनुदान राशि सुनिश्चित नहीं की जा सकी तथा अनुदानवार व्यय की स्थिति की सत्यता की जाँच नहीं की जा सकी।

नीचे दिये गए आकड़ो जो पूर्व के अंकेक्षण प्रतिवेदन मुख्य रोकड़ पंजी तथा सहायक रोकड़ पंजी के आधार पर तैयार किया गया है :-

क्रमांक	विवरण	वर्ष (2007-08)
1	प्रारंम्भिक अवशेष	65375288.57
2	अनुदान एवं अन्य	190821292.00
3	कुल राशि	256196580.00
4	व्यय (2007-08)	208558192.00
5	अंतिम अवशेष(31.3.08)	47638388.57

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट IV पर)

अंकेक्षण टिप्पणी :-

(i) अनुदान पर जितनी भी सुद की राशि प्राप्त की गयी थी उसका इन्द्रराज मुख्य रोकड़ बही में नहीं था। इससे स्पष्ट है कि सूद की राशि अनुदान के साथ नहीं जोड़ा गया था, जबकि अनुदान पर प्राप्त सुद अनुदान का ही एक भाग होता है। अतः सुद की राशि अनुदान के साथ नहीं लिया जाना घोर अनियमितता को द्योतक है।

(ii) अनुदान पंजी के संधारण नहीं करने के कारण अभिश्रव अनुसार अनुदानवार व्यय की स्थिति नहीं सुनिश्चित किया जा सका था।

अतः अनुदान पंजी का संधारण कर उसमें प्रत्येक अनुदान मे प्राप्त सुद की राशि जोड़कर तथ वर्षवार व्यय (अभिश्रव संख्या सहित) अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

11. रोकड़ बही की त्रुटियाँ :–

लेखापाल रोकड़ बही को उचित ढंग से संधारित नहीं किया गया था। रोकड़ बही के संधारण मे निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गई :–

(i) रोकड़ बही का जोड़ एवं गणना नहीं किया गया था,
(ii) रोकड़ बही में प्रारम्भिक शेष एवं अंतशेष नहीं निकाला गया था,
(iii) व्यय का शीर्षवार वर्गीकरण नहीं किया गया था,
(iv) विभिन्न बैंक खातों के संव्यवहार को अंकित करने हेतु एक ही रोकड़ बही संधारित था। प्राप्त किये गये राशि को किस बैंक खाते में जमा किया गया था, यह रोकड़ बही के प्राप्ति भाग में नहीं लिखा गया था,
(v) बैंक खातों में प्राप्त ब्याज की राशि को रोकड़ बही के प्राप्ति भाग में नहीं लिखा गया था,
(vi) रोकड़ बही में कई स्थानों पर लिखे गये राशियों में काट– छाँट की गई थी,
(vii) रोकड़ बही एवं बैंक पास बुक का समाधान विवरणी तैयार नहीं किया गया था।

रोकड़ बही एवं बैंक खातों का समाधान विवरणी तैयार नहीं करने से गंभीर अनियमितताओं, यथा– राशि का गलत आहरण, दोहरी निकासी इत्यादि की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

12. मुख्य कर :–

मुख्यकर (मकान कर, जलकर, पैखाना कर शिक्षा सेस एवं स्वास्थ्य सेस) से संबंधित माँग एवं वसूली पंजी का संधारण नहीं किया गया था। मुख्य कर शाखा द्वारा प्रस्तुत आकड़ों के अनुसार वर्ष 2007–08 में मुख्य कर की माँग, वसूली तथा बकाया अंतशेष की स्थिति इस प्रकार थी :–

बकाया माँग	रू0 46135209.00
चालू माँग	रू0 38918089.00
कुल माँग	**रू0 85053298.00**
बकाया वसूली	रू0 23653155.00
चालू वसूली	रू0 15768770.00
कुल वसूली	**रू0 39421925.00**
अंतशेष	**रू0 85053298 – 39421925 = 45631373**
वसूली का प्रतिशत	**46.34 प्रतिशत**

अंकेक्षण आपत्ति :–

(i) माँग पंजी संधारण नहीं करने का कारण अंकेक्षण को बताया नहीं गया था।

(ii) कुल माँग का 85 प्रतिशत वसूली होनी चाहिए थी जबकि वसूली केवल 46.34 प्रतिशत की गयी थी। मुख्य कर की वसूली हेतु मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस दल को रखा गया था तथा 18000.00 रू0 जीप भाड़ा पर व्यय किया गया था लेकिन

3/2

इसके बावजूद भी वसूली संतोषजनक नहीं था। इसका कारण अंकेक्षण में नहीं बताया गया था।

(iii) कर शाखा द्वारा उपलब्ध आकड़ो के अनुसार वर्ष 2007-08 में कुल वसूली 39421925.00 रू0 हुई थी जबकि Chartered Accountant के आंतरिक अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार उस वर्ष 35322507.75 रू0 की वसूली हुई थी। दोनो आकड़ों का अंतर 4099471.75 रू0 था। इससे यह प्रतित होता है कि कर शाखा प्रस्तुत विवरण सत्यता से परे था। उपरोक्त अंतर को अगले अंकेक्षण में बताया जाय।

नगर निगम के अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है कि मुख्य करों की वसूली को बढ़ाने हेतु ठोस कदम उठाया जाय।

13. <u>कम जमा/नहीं जमा</u> :-

रसीद बही के जाँच क्रम में पाया गया कि निम्नलिखित वसूलीकर्त्ताओं द्वारा नहीं/कम जमा की गई। जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

क0सं0	रसीद सं0 एवं दिनांक	राशि (रू0)	कर संग्रहकर्त्ता का नाम
1	'एच' रसीद सं0 307/17.7.07	12272	श्री शिव शंकर शर्मा, वार्ड
2	'एच' रसीद सं0 3939/30.10.07	288	संख्या 21
	कुल	12560	
	चुंगी कर :-		
3	24.4.07 से 30.4.07(गुदरी स्लॉटर हाउस)	360	श्री जक्की हसन
4	-यथा - (सराय)	710	
5	15.10.07 (बाजार)	140	
	कुल	1210	
6	797144 से 797200	5X57=285	श्री इन्तेखाब आलम
7	558301 से 558400 /29.03.08	10X100=1000	श्री जक्की हुसैन
8	558101 से 558200	10X100=1000	श्री शंकर यादव
	कुल	16055	

अतः नहीं जमा /कम जमा की राशि रू0 16055.00 को संबंधित व्यक्तियों से वसूल कर निगम निधि में जमा किया जाये तथा अगले अंकेक्षण में दिखाया जाये।

14. <u>पेशा कर</u> :-

पेशाकर से संबंधित मांग पंजी का संधारण नहीं किया गया था। यधपि पेशाकर शाखा द्वारा प्रस्तुत आंकड़ो के अनुसार वर्ष 2007-08 में पेशाकर की माँग, वसूली एवं अंतशेष निम्नलिखित थी :-

बकाया माँग	2556260	बकाया वसूली	86140
चालू माँग	1399485	चालु वसूली	440950
कुल माँग	3955745	कुल वसूली	527090
अंत शेष	3955745 - 527090=3428655		
वसूली का प्रतिशत = 13.32			

अंकेक्षण आपत्ति–

(i) पेशाकर शाखा में वसूली हेतु 6 (छः) कर्मचारी कार्यरत थे, फिर भी वसूली का प्रतिशत कुल माँग का 13.32 प्रतिशत था। इतने कम वसूली होने का कारण अंकेक्षण में स्पष्ट नहीं किया गया।

(ii) माँग पंजी संधारित नहीं करने का कारण स्पष्ट नहीं किया गया।

अतः बकाया राशि रू0 3428655.00 के वसूली हेतु विभागीय स्तर पर आवश्यक कदम उठाया जाये।

15. <u>खतरनाक एवं संसप्तकारी व्यवसाय कर</u> :–

खतरनाक एवं संसप्तकारी व्यवस्था से संबंधित माँग पंजी का संधारित नहीं किया गया था। संबंधित शाखा से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2007–08 में माँग, वसूली तथा अंतशेष की स्थिति निम्नलिखित थी :–

	बकाया	चालू	योग	वसूली का प्रतिशत
माँग	257655	103689	361344	
वसूली	20934	30256	51190	14.16 प्रतिशत
शेष	236721	73433	310154	

अंकेक्षण आपत्ति :–

(i) न्युनतम वसूली 85 प्रतिशत के स्थान पर 14.16 प्रतिशत ही वसूली की गई। जो लक्ष्य से काफी कम थी।

(ii) मांग पंजी संधारित नहीं करना का कारण स्पष्ट नहीं किया गया।

(iii) वर्ष 2004–05 के वसूली के अनुसार निम्न व्यवसाय से वसुली की गई थी लेकिन 2005–06 से 2007–08 तक व्यवसाय कर वसूल नहीं किया गया था, जिसका विवरण निम्नलिखित है :–

क0 सं0	ट्रेड का नाम	ट्रेड सं0	दर	अवधि (3वर्ष) 05–06से07–08	कुल राशि (रू0)
1	लॉण्ड्री	5	12	3	180
2	ड्राईक्लीनर्स	8	40	3	960
3	किरासन तेल	4	250	3	3000
4	गैस लाइट	5	300	3	4500

(310)

5	गैस एजेन्सी	4	1000	3	12000
6	स्प्रीट	3	30	3	270
				कुल	20910

इस प्रकार व्यवसाय कर वसूल नहीं करने से 20910.00 रू0 की हानि हुई, जिसे संबंधित/जिम्मेवार व्यक्तियों से वसूल की जाये। इस प्रकार के अन्य मामलों की जाँच कर विभागीय स्तर पर आवश्यक कार्यवाई की जाये। तथा इसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी में कार्यालय को दिया जाय।

16. <u>विज्ञापन कर लेखा</u> :–

विज्ञापन कर का माँग एवं वसूली पंजी का संधारण उचित ढ़ग से नहीं किया गया था। विज्ञापन कर से संबंधित अन्य अनियमितताये निम्नलिखित थी :–

(i) विज्ञापन करदाता का पूर्व वर्ष का बकाया नहीं दर्शाया गया था,

(ii) संबंधित शाखा के प्रभारी या निगम के सक्षम पदाधिकारी द्वारा तो माँग एवं वसूली पंजी का जाँच किया गया था और न ही उस पर हस्ताक्षर किया गया था।

अंकेक्षण में प्रस्तुत माँग एवं वसूली पंजी के अनुसार निम्नलिखित वसूली थी:–

वर्ष 2007–08		
कुल माँग (बकाया+चालू)	कुल वसूली (बकाया+चालू)	अंतिम बकाया माँग
512808	393224	119584

अंकेक्षण आपत्तिः–

(क) 31.03.08 को अंतिम अवशेष रू0 119584.00 की वसूली के लिए की गई कार्यवाई से अंकेक्षण को अवगत नहीं कराया गया।

(ख) श्री दीलिप कुमार मिश्रा द्वारा वसूल किया गया राशि रू0 19072.00 को माँग एवं वसूली पंजी में नहीं दर्शाया गया था। अतः उसे श्री मिश्रा से यथाशीघ्र वसूल कर एवं मांग तथा वसूली पंजी में दर्शाकर आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाये।

(ग) मेसर्स वैशाली पब्लिसिटी जूरन छपरा रोड, मुजफ्फरपुर के होर्डिंग 200 वर्गफीट के लिए 25/– प्रति वर्गफीट की दर से 5000.00 रू0 की वसूली करना था, जबकि विविध रसीद संख्या 52669 दिनांक 09.10.07 के द्वारा रू0 2500.00 की वसूली किया गया था। इस प्रकार 2500 रू0 कम वसूल किया गया था, जो संबंधित /जिम्मेदार व्यक्ति से वसूलनीय है।

(घ) मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र में सात (7) सिनेमा हॉल चालु स्थिति में था, जिसमें से केवल दो सिनेमा हॉल अमर टॉकिज तथा प्रभात टॉकिज से विज्ञापन कर

वर्ष 2006-07 तथा 2007-08 में वसूल की गई थी तथा शेष पाँच (5) सिनेमाघरों से वसूली नहीं की गई थी, जिससे संबंधित वितरण निम्नलिखित है :-

(i)	जवाहर टॉकिज	2X3532	7064
(ii)	शेखर टॉकिज	2X3532	7064
(iii)	कृष्णा टॉकिज	2X3532	7064
(iv)	संजय टॉकिज	2X3532	7064
(v)	श्याम टॉकिज	3532	3532
		कुल	**31788**

अतः रू0 31788.00 यथाशीघ्र सिनेमाघर मालिकों से वसूल कर नगर निगम निधि में जमा किया जाय।

(ड0) माँग एवं वसूली पंजी के निरीक्षण एवं भ्रमण में पाया गया कि निम्नलिखित स्थानों पर लगाये गये होर्डिंग से कोई कर नहीं वसूली गई थी, जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

क्र0 सं0	करदाता का नाम	आकार (वर्गफीट)	दर (प्रति वर्गफीट)	राशि रू0
1	वैशाली पब्लिसिटी, मालगोदाम चौक	200	25	5000
2	हीरा आर्ट, मस्जिद के पास कम्पनी बाग	200	25	5000
	भगवानपुर हनुमान मंदिर के पास	400	25	10000
	मालगोदाम हनुमान मंदिर के पास	200	25	5000
	डी. एम. आवास के सामने	200	25	5000
3.	रिस्पौटस तिलक मैदान, एम.डी.डी.एम के पास	200	20	4000
	बैरिया	200	6	1200
	मिठनपुरा रोड	150	20	5100
	ब्रहमपुरा चौक	350	6	
4.	ब्राइट पटना, माड़ीपुर पुल	400	6	2400
5.	अजन्ता एडवर्टाइजिंग अघोरिया बाजार	800	6	4800
6.	निलगिरी, पटना ओवरब्रीज के पास	800	6	4800
7.	वैशाली पब्लिसिटी अंचल 4 के बगल में	200	6	1200
			योग	**53500**

उपरोक्त करदाताओं से विज्ञापन कर वसूल नहीं करने का कारण अंकेक्षण में स्पष्ट नहीं किया गया। हांलाकि रू0 5100 विविध रशीद संख्या 55829 दिनांक 25.03.09 द्वारा जमा किया गया। इसकी सत्यता उपलब्ध मूल अभिलेख (key documents) के साथ कम संख्या 1 और 2 पर दिया हुआ है। शेष राशि रू0 48400 वसूल कर नगर निगम निधि में जमा किया जाय।

308

17. <u>स्टॉल किराया लेखा</u> :–

मॉग एवं वसूली पंजी की नमूना जॉच के दौरान लेखा परीक्षा में पाया गया कि वसूली एवं मांग पंजी के सधारण में निम्नलिखित त्रुटियॉ थी :–

(i) पंजी में किसी सक्षम प्रधिकारी या संबंधित अनुभाग के प्रभारी द्वारा जॉच नहीं की गई थी।

(ii) प्रत्येक बाजार में स्थित स्टॉलों के संदर्भ में बकाया मॉग, चालू मॉग तथा 31.03.08 को कुल मॉग तथा बकाया वसूली, चालू वसूली तथा कुल वसूली के अलग–अलग कॉलम को वर्ष के अंत में जोड़ा नहीं गया था।

(iii) पंजी में पुर्व के बकाया के संबंध में अवधि का उल्लेख नहीं था।

निगम द्वारा प्रस्तुत आंकड़ो के अनुसार मॉग एवं वसूली की स्थिति निम्नलिखित थी :–

क0 सं0	बकाया मॉग	चूल मांग	कुल मांग	कुल वसूली	शेष बकाया (31.3.08 का)
1	3740514	3941802	7682316	3664570	4017746

31.03.08 को शेष बकाया – 4017746.00 रू0

नोट :– प्रस्तुत आंकड़ो में वर्ष 2007–08 में की गई वसूली को बकाया वसूली तथा चालु वसूली को अलग–अलग नहीं दर्शाया गया है।

इसके अतिरिक्त मॉग एवं वसूली पंजी की नमूना जॉच में यह भी पाया गया कि कुछ दुकानदारों के यहॉ लम्बी अवधि से किराया बाकी है तथा 2007–08 के दौरान उनसे कोई भी राशि वसूली नहीं की गई थी। इस प्रकार एक बड़ी राशि रू0 1337319.00 (**परिशिष्ट V**) वसूलनीय थी।

अंकेक्षण आपत्तिः–

(i) वर्ष 2007–08 के अंत में कुल बकाया किराया 4017746.00 रू0 की वसूलीकर यथाशीघ्र नगर निगम निधि में जमा किया जाय।

18. <u>कर का अनियमित अवमूल्यांकन</u> :–

निर्धारण पंजी वार्ड संख्या 5 के पृष्ठ संख्या 57 पर होल्डिंग संख्या 544, 545, 546, 547, 548 तथा 549 का वार्षिक मूल्यांकन प्रधान मुख्य सड़क पर आवासीय पर किया गया था। यह वार्ड सरकारी बस पड़ाव इमली चट्टी में है तथा यहां सभी मकान व्यावसायिक है। लेकिन वार्षिक मूल्यांकन का अवमूल्यन किया गया था जबकि इन सभी होल्डींग का व्यावसायिक मूल्यांकन होना चाहिए था।

क्र0 सं0	होल्डिंग सं0	फर्श का क्षेत्र	आवासीय दर	दर होना था	वार्षिक मूल्यांकन 3X4	अवमूल्यन के बाद मूल्यांकन	मूल्यांकन होना था 3X5	कम मूल्यांकन 8-7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	544	2880sft	18.00	48.00	51840	300.00	138240	137940
2	545	2880sft	18.00	48.00	51840	300.00	138240	137940
3	546	2880sft	18.00	48.00	51840	51840	138240	86400
4	547	2880sft	18.00	48.00	51840	300.00	138240	137940
5	548	2880sft	18.00	48.00	51840	300.00	138240	137940
6	549	2880sft	18.00	48.00	51840	300.00	138240	137940
कुल								776100

अंकेक्षण आपत्ति :-

(i) उपरलिखित करदाता द्वारा यह आपत्ति की गई थी कि मापी गलत है तथा पुनः मापी कराई जाय। लेकिन करदाता द्वारा तिथि नहीं दिया गया था। इससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि आपत्ति, नोटिस निर्गत्त होने के कितने माह के अंदर की गई थी, जो संदेहास्पद है।

(ii) करदाता द्वारा पुनः मापी के लिए कहा गया था, जबकि वार्षिक मूल्यांकन का अवमूल्यन कर परती जमीन दिखाया गया था, जो संदेह पैदा करता है।

(iii) इस सभी होल्डींग के स्थान पर एक वाणिज्यिक भवन (विशाल मेगामार्ट) बन गया था। लेकिन कर निर्धारण पंजी में इसका मूल्यांकन नहीं किया गया था। इस कारण निगम को आर्थिक क्षति हुई थी।

अतः रू0 776100.00 (पूर्व पृष्ठ पर) का 9 प्रतिशत कर से रू0 69849.00 प्रति वर्ष होता है तथ यह कर वर्ष 2001-02 (IVth quarter) से वर्ष 2002-03 से 2007-08 तक का 6.25 वर्ष का रू0 436556.25 की आर्थिक क्षति हुई थी जो जिम्मेदार व्यक्तियों से वसूली योग्य है। नगर आयुक्त से आग्रह है कि इस प्रकार के अन्य केस का विस्तृत जाँच कर की गई कारवाई से अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को सूचित करे।

19. <u>चुंगी कर</u> :-

चुंगी कर वसूली में निम्नलिखित त्रुटी पाया गया था :-

(i) (क) थाना गुमटी से माड़ीपुर तक की चुंगी वसूली –

थाना गुमटी से माड़ीपुर तक के चुंगी वसूली पंजी के अनुसार दिनांक 24.10.07 से 31.03.08 कुल 159 दिनों की वसूली की गई थी तथा दिनांक 01.04.07 से 23.10.07 तक की वसूली नहीं की गई थी।

306

दिनांक 24.10.07 से 31.03.08 की वसूली=रू0 11932.00 यानी औसत वसूली प्रतिदिन =रू0 75.044 (11932/159)

अतः दिनांक 01.04.07 से 23.10.07 तक की नहीं वसूली की राशि = 206 दिन X रू0 75.044 =रू0 15459.00

निगम निधि को रू0 15459.00 की हानि हुई थी।

(ख) आम गोला रोड को चुँगी वसूली :–

आम गोला रोड की चुँगी वसूली पंजी से ज्ञात हुआ कि दिनांक 24.10.07 से 31.03.08 तक कुल 159 दिनों का वसूली किया गया था। जबकि 01.04.07 से 23.10.07 तक कुल 206 दिनों की कोई वसूली नहीं की गई थी।

दिनांक 24.10.07 से 31.03.08 तक वसूली = रू0 23867.00

औसत वसूली प्रतिदिन =रू0 23867/159दिन =रू0 150.10

206 दिनों का औसत वसूली =रू0 206 दिन X 150.10 = रू0 30921.00

इस प्रकार निगम निधि को रू0 30921.00 हानि हुई।

अतः निगम को कुल रू0 46380.00 (1545900+30921) की हानि उठानी पड़ी जिसे जिम्मेवार व्यक्ति से वसूल की जाय ।

20. <u>चुंगीकर वसूली कूपन अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं कराया जाना</u> :–

चुंगीकर के मंगर पंजी तथा चुंगी रसीद के मिलान क्रम में पाया कि रू0 171600.00 का कूपन अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं कराया गया।

अतः यह सभी कूपन वसूलीकर्त्ताओं से लेकर विस्तृत जाँच करते हुए उसका प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरकर्त्ता के कार्यालय को भेजा जाये। अथवा रू0 171600.00 की वसूली संबंधित व्यक्तियों से की जाये।

(परिशिष्ट VI पर)

21. <u>टावर का किराया</u> :–

नगर निगम द्वारा मोबाईल टावर का कोई माँग पंजी नहीं बनाया गया था। लेकिन विभिन्न टावर से संबंधित संचिका का संधारण तथा वसूली पंजी का संधारण किया गया था।

नगर निगम पर्षद द्वारा दिनांक 29.03.05 द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्रति टावर रू0 50000.00 की दर से शुल्क की वसूली की जाय। पुनः नगर विकास विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 5245 दिनांक 26.11.07 के कंडिका 13 द्वारा यह आदेश दिया गया था कि रू0 2000.00 प्रति मीटर, प्रति टावर, प्रति वर्ष किराया वसूलना था, अनापत्ति प्रमाण–पत्र के लिए रू0 500.00 तथा जिस

स्थान/होर्ल्डींग पर टावर लगाया जायगा उससे व्यवसायिक शुल्क के रूप में रू0 2500.00 लेना था तथा उस होर्ल्डींग पर व्यवसायिक कर लगेगा।

अंकेक्षण आपत्ति :–

1. **एयरसेल** :– एयर सेल ने मुजफ्फरपुर निगम क्षेत्र में 17 स्थानों पर टावर लगाया था तथा विविध रसीद संख्या 51815 दिनांक 20.02.07 द्वारा रू0 50000.00 प्रतिटावर की दर से रू0 850000.00 वर्ष 2006–07 का जमा हुआ था। लेकिन 2007–08 के लिए कोई राशि की वसूली नहीं की गई थी।

वर्ष 07–08 का किराया	349M(17टावर)X2000	698000.00
आनापत्ति प्रमाण पत्र	17टावरX500	8500.00
करदाता से व्यवसायिक शुल्क	17स्थानX2500	42500.0
	कुल	749000.00

(2) **एयरटेल** :– एयरटेल टावर से संबंधित संचिका के अनुसार 23 स्थानों पर एयरटेल का टावर था। जिसमें से 13 टावर का रू0 50000.00 प्रतिटावर की दर से रू0 650000.00 की राशि वर्ष 2006–07 में जमा की गई थी। वर्ष 2007–08 की कोई राशि नहीं वसूल की गई थी।

वर्ष 06–07 के टावर का बकाया	10टावरX50000	500000.00
2007–08	20–540M x 2000	1080000.00
आनापत्ति प्रमाण पत्र	23टावरX500	11500.00
करदाता से व्यवसायिक शुल्क	23स्थानX2500	57500.00
	कुल	1649000.00

एयरटेल के तीन टावर की ऊँचाई संचिका में ज्ञात नहीं था। अतः वर्ष 2007–08 में इसके किराया वसूलने के लिए तीनों टावर की ऊँचाई ज्ञात कर वसूला जाय।

(3) **टाटा इंडिकॉम** :– वर्ष 2006–07 के सर्वे के अनुसार टाटा इंडिकॉम का तीन टावर था। लेकिन इससे कोई राशि वसूल नहीं की गई थी।

वर्ष 2007–08 में टाटा इंडिकाम के नये दो टावर लगाया गया था तथा उससे वसूली निम्न था :–

1.सुशील कुमार, सुत्तापट्टी	50M	100000	Misc. Receipt No. 5245/13.8.07
2.रामसेवक साह, ब्रहमपुरा	40M	50000	55738/09.10.07

304

नहीं वसूल की गई राशि :-

वर्ष 2006-07	3 टावर X50000	150000.00
आनापत्ति प्रमाण पत्र	3 टावर X500	1500.00
करदाता से व्यवसायिक शुल्क	3टावरX2500	7500.00
वर्ष 07-08		
(i) ब्रहमपुरा टावर से कम वसूली	40M X2000-50000	30000.00
(ii) आनापत्ति प्रमाण पत्र	2X500	1000.00
(iii) करदाता से व्यवसायिक शुल्क	2X2500	5000.00
	कुल	195000.00

(iv) **आइडिया** :- आइडिया द्वारा 25 टावर के लिए निगम से आनापत्ति प्रमाण-पत्र (वर्ष 2007-08) माँगा था। तथा इसके द्वारा रू0 1250000.00 (रू0 50000.00 प्रति टावर) विविध रसीद संख्या 53568 दिनांक 28.03.08 द्वारा जमा किया गया था। लेकिन सभी टावर की ऊँचाई नहीं बताया गया था। अतः रू0 2000.00 प्रति गीटर की दर से टावर से वास्तविक राशि तथा वसूल की गई राशि का अंतर पत्ता चल नहीं सका। अतः सभी 25 टावर की ऊँचाई ज्ञात कर शेष राशि की वसूली की जाय।

वर्ष 2007-08 में अनापत्ति प्रमाण पत्र	25टावर X 500	12500
वर्ष 2007-08 में करदाता से व्यवसायिक शुल्क	25टावर X 2500	62500
	कुल	75000

(v) वर्ष 2006-07 के सर्वे के अनुसार निगम क्षेत्र में 10 रिलायंस के टावर तथा 11 भारत संचार निगम लिमिटेड के टावर थे। लेकिन इनसे कोई राशि वसूल नहीं की गई थी।

वर्ष 2006-07 का बकाया- 21 टावर X 50,000/- Rs. 10,50,000/-
अनापति प्रमाण-पत्र - 21 टावर X 500/- = Rs. 10,500/-
करदाता से व्यावसायिक शुल्क-21 टावर X 2500/- Rs. 52,500/-
11,13,000/-

दोनों कंपनी के टावर की ऊँचाई ज्ञात कर उससे 2007-08 का राशि वसूला जाय।

(vi) टावर जहाँ लगाया गया था उससे व्यवसायिक कर लिया गया था या नहीं यह अंकेक्षण में स्पष्ट नहीं किया गया था। इसे अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत करें।

अतः कुल राशि रू0 3781000.00 (रू0749000.00 +1649000.00+195000.00+75000+1113000.00) की वसूली की जाय तथा उपरलिखित टावर जिसकी ऊँचाई ज्ञात नहीं थी उसका ऊँचाई ज्ञात कर रू0 2000.00 प्रति गीटर की दर से वसूला जाय।

22. मॉँग सूचना निर्गत्त नहीं किया गया :–

पटना नगर निगम लेखा नियम (कर की वसूली) 1963 के नियम 3 के साथ पठित पटना नगर निगम अधिनियम 1951 की धारा 205 के अनुसार जिस व्यक्ति को मॉँग सूचना निर्गत की जाती है, उससे मॉँग राशि के साथ मॉँग राशि का 25 प्रतिशत राशि शुल्क के रूप में वसूलनीय होगा।

लेकिन नगर निगम मुजफ्फरपुर द्वारा वर्ष 2006–07 तथा 2007–08 में केवल बिल नोटिस निर्गत किया गया था। बिल नोटिस का जोड़ भी नहीं किया गया था तथा डिमांड नोटिस निर्गत नहीं किया गया था। बिल नोटिस पंजी के अनुसार निम्न राशि का नोटिस निर्गत किया गया था।

(i) 2006–07	69869743.00
(ii)2007–08	23163104.00
कुल	93032847.00

पुनः पटना नगर निगम के अधिनियम 1951 की धारा 206 के अन्तर्गत वारंट भी निर्गत नहीं किया गया था।

अतः नगर निगम पदाधिकारियों को यह सुझाव दिया जाता है कि नगर निगम अधिनियम के प्रावधानों को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय, ताकि नगर निगम के राजस्व में वृद्धि हो सके।

23. जलदर लागू नहीं :–

पटना नगर निगम, जल कार्य मरम्मति तथा गृह कनेक्शन एवम् लेवी जलदर नियम 1972 नगर विकास विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 582 दिनांक 12.03. 1993 द्वारा संशोधित 123 (1) (b) के साथ पठित धारा 125 के अनुसार जल बोर्ड द्वारा घरेलू तथा घरेलू नहीं उद्देश्य के लिए उपभोग जलदर निम्नदर से वसूली किया जाना था।

(क) प्रत्येक मकान के वार्षिक मुल्यांकन का 6 प्रतिशत की दर से तथा इसके अलावा जिस मकान में पानी का कनेक्शन दिया गया है, उससे निम्नदर से जलदर वसूल करना था।

(i)	रू0 500 तक के वार्षिक मुल्यांकन पर –3/– प्रतिमाह की दर से
(ii)	रू0 501से 1000 तक के वार्षिक मुल्यांकन पर रू06/– प्रतिमाह की दर से
(iii)	रू0 1001से 2000 तक के वार्षिक मुल्यांकन पर रू06/– प्रतिमाह की दर से
(iv)	रू0 2001 3000 तक के वार्षिक मुल्यांकन पर रू06/– प्रतिमाह की दर से
(v)	रू0 3001से 5000 तक के वार्षिक मुल्यांकन पर रू06/– प्रतिमाह की दर से
(vi)	रू0 5001एवम् अधिक तक के वार्षिक मुल्यांकन पर रू06/– प्रतिमाह की दर से

यह दर वर्ष 1993-94 से प्रभावी था। अविलंब जलदर लागू कर उसकी वसूली सुनिश्चित की जाय।

24. एसेसमेंट रजिस्टर की अनियमिततायें :-

एसेसमेंट रजिस्टर के नमूना जाँच में यह पाया गया कि नगर निगम क्षेत्र के कई मकानों के वार्षिक मूल्यांकन में कमी किया गया था। वार्षिक मूल्यांकन में कमी के संदर्भ में अधिकांश स्थानों पर केस संख्या/रेकाई संख्या/आदेश संख्या नहीं लिखा गया था तथा संबंधित सहायक कर दारोगा एवं सक्षम पदाधिकारी द्वारा कमी को सत्यापित नहीं किया गया था। वार्षिक मूल्यांकन एवं उसका योग पेंसिल से तैयार किया गया था, जिससे राशि के हेराफेरी की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

इस प्रकार उपलब्ध कराये गये वार्ड 34 तक के एसेसमेंट रजिस्टरों के नमूना जाँच के अनुसार राशि रू0 13254233.00 की कमी की गई थी।

(विस्तृत परिशिष्ट VII पर)

उपरोक्त अनियमितताओं के संबंध में नमूना जाँच हेतु संबंधित संचिकाओं को अंकेक्षण में उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया था, परन्तु संबंधित संचिकाओं को अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं कराया गया।

अतः निगम को प्रति वर्ष रू0 1192881.00 गृह कर के रूप में हानि हो रही थी। निगम प्रशासन से आग्रह है कि उपरलिखित मामले की जाँच कर, उस पर की गई कारवाई से स्थानीय लेखा परीक्षक कार्यालय को अवगत करावें।

25. शिक्षा सेस एवं स्वास्थ्य सेस का जमा नहीं किया जाना :-

राज्य सरकार के निर्देशानुसार नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायतों को गृह कर का 50 प्रतिशत राशि सेस एवं स्वास्थ्य शेष के रूप में वसूल किया जाना था। वसूल किये गये राशि में से 10 प्रतिशत वसूली चार्ज घटाकर शेष राशि राज्य सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा करना था।

नगर निगम मुजफ्फरपुर द्वारा शिक्षा सेस एवं स्वास्थ्य शेष की वसूली का विवरण निम्नलिखित है :-

क्र0सं0	वर्षवार	शिक्षा सेस	स्वास्थ्य शेष
1.	नि0प्र0सं0 420/07-08 कंडिका सं0 18 के अनुसार	22155130	21930678
2.	2007-08	5519071	5519071
	कुल	27674201	27449749
	10% वसूली चार्ज (-)	2767420	2744975
	सरकारी खाते में जमा योग्य राशि	24906781	24704774

अतः शिक्षा सेस एवं स्वास्थ्य सेस की कुल राशि रू0 49611555.00 (24906781+24704774.00) को यथाशीघ्र सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा किया जाये तथा इसकी सूचना स्थानीय लेखा परीक्षक पटना, बिहार को दिया जाये।

26. <u>स्टाम्प शुल्क वसूल नहीं किये जाने से हानि</u> :-

बिहार सरकार के मुख्य सचिव सह महानिरीक्षक निबंधन के पत्रांक 549 दिनांक 15.03.05 के अनुसार नगर निगम क्षेत्र के बस पड़ाव, हाट बाजार, घाट, दुकान, मंडी इत्यादि के एक वर्ष या एक वर्ष से अधिक की अवधि के बंदोबस्ती की राशि का 3 प्रतिशत राशि स्टाम्प शुल्क के रूप में उच्चतम डाकवक्ता से लेना था। परन्तु अंकेक्षण के दौरान यह पाया गया कि विभिन्न स्थानों पर किये गये बंदोबस्ती में डाकवक्ता के साथ एकरारनामा नहीं किया गया था, इस कारण राशि रू0 112651.00 के स्टाम्प शुल्क से सरकार वंचित रही। इससे संबंधित विवरण निम्नलिखित हैः-

क0 सं0	सैरात का नाम	उच्चतम राशि(रू0)	3%निबंधक शुल्क (रू0)
1.	प्रवेश/पार्किंग शुल्क (व्यावसायिक वाहनों से)	2503500	75105
2.	कटहरी पुल टेक्नीकल चौक सब्जी बाजार	480000	14400
3.	सतपुरा निम चौक सब्जी बाजार	225100	6753
4.	टेम्पू पड़ाव (कम्पनी बाग स्टैण्ड)	182500	5475
5	अखाराघट रोड में देना बैंक से पूरब दक्षिण साइड में पश्चिम खाली जमीन पर सब्जी बाजार	181000	5430
6	हाथी चौक, गौशाला, खादी भंडार, बेला, कन्हौली, चलता फिरता अस्थायी दुकान	141650	3440
7	ब्रहमपुरा स्लॉटर हाउस	68250	2048
	कुल	3782000	112651

सरकार को हुई आर्थिक क्षति की राशि रू0 112651.00 की भरपाई संबंधित/ व्यक्तियों से वसूल करके जमा की जाये।

27. <u>स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना</u> :-

वर्ष 2007-08 में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत (सहायक रोकड़ बही तथा अंकेक्षण में उपलब्ध कराये गये सांचिका के आधार पर) कोई अनुदान सरकार से प्राप्त नहीं हुई थी। लेकिन पूर्व में प्राप्त अनुदान के अनुसार वर्ष 2007-08, का आय -व्यय निम्न था -

(i)	प्रारंभिक अवशेष	11988710.57
(ii)	प्राप्ति :-	
(क)	विचलन राशि की वापसी	1000000.00
(ख)	सूद का राशि	434652.00
(iii)	कुल राशि	13423362.57

(iv)	व्यय	9810500.00
(v)	अवशेष राशि	3612862.57

स्वर्ण जंयती की राशि निम्न बैंक में रखा गया था –

क0 सं0	बैंक का नाम	31.3.08 का अवशेष
(i)	ओरियंटल बैंक ऑफ कार्मस (बचत 1000025)	288667.00
(ii)	यू0टी0आई0बैंक (बचत 1000018692)	1513609.00
(iii)	बैंक ऑफ इण्डिया (बचत 5615)	1394413.57
(iv)	देना बैंक (CA 211)	297735.00
(v)	विजया बैंक (SB 10105)	118438.00
	कुल	3612862.57

स्वर्ण जंयती अनुदान शीर्षवार निम्न था –

(i)	DWCUA	298000.00
(ii)	USEP (Training)	382053.00
(iii)	Subsidy	4004.47
(iv)	UWEP	1008091.10
(v)	Training & Micro Enterprises	12241755.00

अंकेक्षण आपत्ति :–

(i) रू0 9800000.00 जो चेक संख्या 267231 दिनांक 12.11.07 को ओरियंटल बैंक ऑफ कर्मस से निगम कर्मचारियों के वेतन इत्यादि के लिए निकासी की गई थी। इससे स्पष्ट है कि रू0 98.00 लाख का विचलन स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अनुदान से किया गया था। इस विचलन के लिए सरकार से अनुमति नहीं ली गई थी। सहायक रोकड़बही तथा पासबुक के अनुसार P/L खाता से चेक संख्या 803140 दिनांक 29.05.08 को रू0 10818000.00 (वर्ष 2007–08 का विचलन रू0 98.00 लाख तथा पूर्व के विचलन का बकाया रू0 10.18 लाख) स्वर्ण जंयती के खाता संख्या 1000025 (ओरियंटल बैंक ऑफ कार्मस) में जमा कर दिया गया था। अतः स्वर्ण जंयती से किया गया विचलन अनियमित था।

(ii) सरकार के दिशा–निर्देश के अनुसार स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की राशि एक राष्ट्रीयकृत बैंक के बचत खाता में जमा करना था। जबकि निगम द्वारा इस राशि को 5 बैंक खाता में रखा गया था, जो अनियमित था।

अतः सभी राशि को एक बैंक में स्थानांतरण कर अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत करे।